स्थापित : 1986

लहटन चौधरी महाविद्यालय

पस्तवार (बलुआहा), महिषी, सहरसा - 852216

(भू.ना. मंडल, विश्वविद्यालय मधेपुरा एवं बिहार सरकार द्वारा स्थायी सम्बन्धन प्राप्त)

Prospectus

विवरणिका

स्व. लहटन चौधरी

स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व मंत्री
बिहार सरकार

श्रीमती मंजुला देवी

अध्यक्ष

श्री नागेश्वर भगत

सचिव

प्रधानाचार्य की कलम से.....

शिक्षा से ही मानव जीवन सार्थक, सुखी, सम्मानित तथा विकासिक होता है। यथा–

विद्या ददाति विनयम् विनयद्याति पात्रताम् ।
पात्रत्वाद्धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम् ।।

अर्थात् विद्या मानव को विनम्रता देती है, विनम्रता से पात्रता आती हे, पात्रत्व से धन की प्राप्ति होती है, तथा धन से धार्मिक (परोपकार) कार्य किए जाते हैं तत्पश्चात् सुख की प्राप्ति होती हे।

यानि शिक्षा से ही उत्कृष्ट व्यक्तित्त का निर्माण होता है जिस व्यक्तित्व से आदर्श समाज का निर्माण होती है तथा आदर्श समाज से ही विकसित राष्ट्र की कल्पना की जा सकतीी है।

शिक्षा के बिना मानव पशु से ही निम्न समझा जाता है। यथा–साहित्य, संगीत, कला विहीनः।
साक्षात! पशु पुच्छ विषाण हीनः।।

अर्थात् – शिक्षा विहीन मानव ऐसे पशु के समान होते है। जिसे पूँछ और सिंह नहीं हो।

यानि मानवीय, सामाजिक तथा राष्ट्रीय विकास के लिए मानव मूल्यों को समझते हुए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा के प्रति जागृत होकर जन–जन को जगाना अत्यावश्यक है।

परिचय – लहटन चौधरी महाविद्यालय, पस्तवार – बलुआहा महिषी की स्थापना 1986 ई. को एक युग पुरूष आदर्श व्यक्तित्व, स्वतंत्रता सेनानी महान नायक परमश्रद्धेय स्वर्गीय बाबू लहटन चौधरी के चिरस्मरणीय चिन्तन को ध्यान में रखते हुए सामाजिक विकास के चिन्तक अग्र सोची तथा गरीबी में पलने वाले छात्रों को सुलभ शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थापक – श्री नागेश्वर भगत अध्यक्ष – श्रीमती मंजुला देवी के अथक प्रयास एवं स्थानीय शुभचिन्तक सामाजिक व्यक्तियों के तन मन – घन के सहयोग से की गयी।

उक्त महाविद्यालय महान मीमांसक कर्मकाण्ड के जनक पंडित मण्डन मिश्र, साक्षात्, सरस्वती अवतार परम विदुषी भारती, गुरू वशिष्ठाराधिता श्री उग्रतारा शक्ति पीठ के क्षेत्रान्तर्गत माता कौशिकी नदी से पूरब बलुआहा एवं पस्तवार गाँव के मध्य मनोकामना नदी के तट पर अवस्थित है।

उत्तर – सुपौल, दक्षिण–खगड़िया, पूरब – सहरसा तथा पश्चिम – दरभंगा जैसे विस्तृत क्षेत्र में अवस्थित महाविद्यालय में कला एवं वाणिज्य संकाय के सभी विषयों का अध्यापन होता है, तथा सभी प्रायोगिक विषयों की अलग–अलग प्रयोगशालाएँ समुचित पुस्तकालय क्रीड़ा सामग्री, क्रीड़ा मैदान, भव्य भवन उपस्कर, व्यवस्थित कार्यालय इत्यादि उपलब्ध हैं एवं सुयोग्य शिक्षकों, कर्मचारियों द्वारा छात्र सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी विषयों के अध्यापन कार्य व मार्गदर्शन सम्पादित होते हैं।

अभिभावकों एवं छात्रों से –

हम अपने अभिभावकों एवं छात्रों से आशा ही नहीं पूर्ण अपेक्षा रखते हैं कि महाविद्यालय के माध्यम से समुचित शिक्षा, सभ्यता एवं आदर्श समाज का सुन्दर स्वरूप निर्माण करते हुए सेवा प्रदान कर सकें जिसमें आपका पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।

धन्यवाद

प्रो. परमेश्वर साह
(भूगोल विभाग)
लहटन चौधरी महाविद्यालय,
पस्तवार – बलुआहा, महिषी
Mob. : 9430019883

महाविद्यालय का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष

(1) महाविद्यालय की स्थापना एवं प्रगति :–

लहटन चौधरी महाविद्यालय, पस्तवार, बलुआहा, महिषी, सहरसा की स्थापना वर्ष 1986 में हुई। इस महाविद्यालय की स्थापना सुदुर बाढ़ प्रभावित कोशी क्षेत्र के उच्च शिक्षा से वंचित छात्र / छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र के महान स्वतंत्रता सेनानी एवं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री स्व. लहटन चौधरी के नाम से की गयी। महिषी प्रखंड मुख्यालय है। यह क्षेत्र हरिजन, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ की अधिकांश आबादी आर्थिक एवं शिक्षा के दृष्टिकोण से काफी पिछड़े हैं।

यह महाविद्यालय बड़ी कोशी नदी के पूर्वी तटबंध के किनारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के हृदय स्थली मंडन भारतीय एवं उग्रतारा पीठ महिषी से तीन किलोमीटर उत्तर राजनपुर – कर्णपुर मुख्य पक्की सड़क के सटे पश्चिम पस्तवार बहुआहा के बीच अवस्थित है। इस महाविद्यालय के पूरब – लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर एस. एन. एस. आर. के. एस. कॉलेज, सहरसा, पश्चिम – 32 किलोमीटर की दूरी पर कोशी कॉलेज, बिरौल, दरभंगा, उत्तर – 45 किलोमीटर की दूरी पर बी. एस. एस. कॉलेज, सुपौल एवं दक्षिण – 50 किलोमीटर की दूरी पर कोशी कॉलेज, खगड़िया है। महिषी का पश्चिम एवं दक्षिण दिशा बड़ी कोशी नदी से घिरा है जो भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय परिक्षेत्र की अंतिम सीमा है । इस सम्पूर्ण क्षेत्र की आबादी लगभग 10 लाख से अधिक है और औसतन 40 किलोमीटर की परिधि में कोई डिग्री स्तरीय महाविद्यालय नहीं है। इस महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम से इस क्षेत्र में एक मात्र स्नातक महाविद्यालय है जिसे स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त है। फलतः इस क्षेत्र में निवास करने वाले अधिकांश निर्धन, हरिजन, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग के छात्र एवं खासकर छात्राएँ स्नातक स्तरीय उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

इस प्रकार आर्थिक एवं शिक्षा के दृष्टिकेण से पिछड़े सुदुर कोशी क्षेत्र में हरिजन, अतिपिछड़ा, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इस महाविद्यालय की स्थापना का पूर्णतः उपयोगिता / व्यवहार्यता एवं औचित्य है।

प्रवेश सम्बन्धी नियम

(क) महाविद्यालय के किसी वर्ग में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को कार्यालय में उपलब्ध आवेदन–पत्र को निर्दिष्ट रूप से भरकर यथासमय कार्यालय में जमा करना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ निर्देशिका की एक प्रति भी लेना आवश्यक है, जिससे महाविद्यालय सम्बन्धी नियमों की सम्पूर्ण जानकारी अभ्यर्थी को प्राप्त हो सकेगी।

(ख) प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण–पत्रों की अभिप्रमाणित / फोटो प्रतियाँ आवश्यक रूप से संलग्न की जाएँ। चयन के पश्चात् नामांकन के लिए निर्धारित तिथि को प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी।

1. स्कूल अथवा कॉलेज छोड़ने का प्रमाण पत्र (School or College Leaving Certificate)
2. अंक पत्र (Mark Sheet)
3. पिछली बोर्ड या विश्वविद्यालय परीक्षा का प्रवेश पत्र (Admit Card)
4. पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति (S.C.) एवं अनुसूचित जनजाति (S.T.) के लिए जाति प्रमाण पत्र ।
5. चरित्र प्रमाण पत्र (Character Certificate)
6. पासपोर्ट आकार के तीन नये फोटो

(ग) महाविद्यालय के विभिन्न वर्गों में प्रवेश के लिए स्थानों की संख्या निर्धारित है। अतः चयन, अंकों के आधार पर ही किया जाता है। चयनित प्रवेशार्थियों की तालिका (Selection List) महाविद्यालय के सूचना–पट्ट पर प्रकाशित की जाती है। ऐसे प्रवेशार्थी निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय में प्रवेश (नामांकन) प्राप्त कर लें।

द्रष्टव्य : अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रवेशार्थ आरक्षण का लाभ सरकारी नियमानुसार दिया जायेगा।

(घ) प्रवेश के लिए विहित आवेदन–पत्र सहित निर्देशिका को डाक द्वारा निर्धारित शुल्क देकर भी प्राप्त की जा सकती है। चयन की सूचना डाक द्वारा प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य के नाम प्रेषित पत्र के साथ निर्धारित डाक टिकट लगा लिफाफा जिस पर अपना पता सुस्पष्ट अक्षरों में लिखा हो, संलग्न करना होगा।

(ङ) नामांकन (Admission) के समान ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अथवा विश्वविद्यालय में क्रमशः सूचीकरण (Enlistment) या पंजीयन (Registration) के लिए विहित आवेदन पत्र भरकर निर्धारित शुल्क के साथ कार्यालय में आवश्यक रूप से जमा करना होगा। दूसरे विश्वविद्यालय से नामांकन कराने आये छात्रा को पंजीयन के निमित पूर्व विश्वविद्यालय का प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(च) प्रत्येक नामांकित छात्रा के लिए महाविद्यालय द्वारा निर्गत पहचान पत्र (Identity Card) अपने पास रखना आवश्यक होगा। प्रवेश के लिए मनोनीत प्रभारी प्राध्यापक की उपस्थिति में ही छात्रा को अपने छाया–चित्र पर स्पष्ट अक्षरों में अपने हस्ताक्षर एवं अपेक्षित विवरण स्वयं भरने होंगे जिनका सत्यापन संबंधित प्रभारी प्राध्यापक / प्रधानाचार्य करेंगे। सम्बद्ध सहायक द्वारा मुहर ले लेना आवश्यक होगा। विद्यार्थियों के लिए पहचान – पत्र अत्यंत उपादेय है। पुस्तकालय से पुस्तक प्राप्ति, एन.सी.सी. में चयन एवं यूनीफार्म की प्राप्ति, महाविद्यालय पत्रिका की प्राप्ति, मनोरंजन–कक्ष (Common Room) से खेल सामग्रियों की प्राप्ति, महाविद्यालय कार्यालय एवं बैंक से स्कॉलरशिप, स्टाइपेण्ड या अन्य किसी भुगतान की प्राप्ति, रेलवे एवं सिनेमा घरों में रियायती दरों पर टिकट की प्राप्ति, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के उत्सवों में प्रवेश और महाविद्यालय काउन्सिल एवं विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए पहचान – पत्र दिखाना आवश्यक है।

(छ) छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में प्रविष्ट किये गये अभिभावक का पता (Address) बदल जाने की स्थिति में परिवर्तन की सूचना अविलम्ब महाविद्यालय कार्यालय को देगी चाहिए।

(ज) आवेदन – पत्र भरने से पूर्व विषय–समूह का चयन अन्तिम रूप से करा लिया जाना चाहिए। बाद में विषय परिवर्तन से पाठ्य–क्रम एवं उपस्थिति का प्रतिशत पूरा करने में कठिनाई हो सकती है। स्नातक पाठ्य–क्रम के प्रथम खंड में प्रारंभ के छः माह तक ही विषय–परिवर्तन की अनुमति विहित प्रक्रिया द्वारा दी जा सकती है।

अनुशासन :

सभी छात्र / छात्राओं के अनुशासन के नियमों का पालन करना होगा –

1. छात्र/छात्राओं से अपेक्षा है कि वे व्याख्यानों एवं अभ्यास की कक्षाओं में समयनिष्ठ रहें।
2. नामांकन के समय छात्र/छात्रा की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
3. छात्र/छात्राएँ खाली समय या तो पुस्तकालय में अध्ययन में व्यतीत करेंगी अथवा कॉमन – रूम में मनोरंजन भी कर सकते हैं।
4. कोई भी छात्र/छात्रा प्राचार्य की अनुमति के बिना महाविद्यालय के अहाते के बाहर नहीं जाऐंगे । सिर्फ व्याख्यान तथा कक्षाएँ समाप्त होने पर वे घर जा सकते हैं।
5. महाविद्यालय में कोई भी बैठक (Meetings) प्राचार्य के अनुमति के बिना नहीं होगी और न ही प्राचार्य की अनुशंसा के अभाव में किसी प्रकार की गतिविधि का संचालन किया जायेगा।
6. प्राचार्य की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का चन्दा – सहयोग आवांछनीय होगी।

पुस्तकालय

(i) पुस्तकालय सामान्यतया प्रत्येक कार्य–दिवस को प्रधानाचार्य द्वारा निर्देशित कार्य–काल में खुला रहता है।

(ii) महाविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र/छात्रा ही पुस्तकालय की सदस्यता के अधिकारी है।

(iii) पुस्तकों के निर्गत की सीमा निर्धारित है :–

(A) शिक्षकों के लिए – एक माह ।

(B) शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिए – एक सप्ताह

(C) छात्र–छात्राओं के लिए – पन्द्रह दिन।

(iv) छात्र / छात्राओ को एक बार में अधिकतम दो पुस्तकें निर्गत की जाएगी। इच्छित पुस्तक उसकी उपलब्धता पर निर्भर करेगी। स्कंध पंजी के आधार पर मांगी गयी पुस्तक निर्गत की जाती है।

(v) निर्धारित तिथि के पश्चात् लौटाने पर प्रति पुस्तक रू. 1 प्रतिदिन की दर से विलम्ब दण्ड शुल्क जमा करना होगा।

(vi) किसी पुस्तक के खोने की स्थिति में उस पुस्तक की नयी प्रति खरीद कर देनी होगी या पुस्तक का ढाई गुणा मूल्य जमा करना होगा। पुस्तक को क्षतिग्रस्त करने पर नयी पुस्तक देनी होगी। इसलिए यह आवश्यक है कि छात्र/छात्रा पुस्तक निर्गत कराने के समय उसकी वर्तमान स्थिति की ओर पुस्तकाध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट करें।

(vii) अपना परिचय – पत्र दिखाकर छात्र / छात्रा पुस्तकालय – पत्रक (Library Card) प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तकालय – पत्रक खो जाने की स्थिति में द्वितीयक पुस्तकालय पत्रक (Duplicate) प्राप्त करने के लिए पच्चीस रूपये शुल्क के साथ प्रधानाचार्य को आवेदन देना होगा।

(viii) पुस्तक प्राप्त करने के लिए छात्र/छात्रा को पुस्तकालय पत्रक के साथ अपना परिचय पत्र भी लाना आवश्यक होगा।

(ix) कोई भी सन्दर्भ ग्रंथ (Reference Book) निर्गत नहीं किया जायेगा।

(x) पुस्तकालय से प्राप्त पुस्तकें किसी दूसरे को हस्तांतरित करना वर्जित है।

(xi) पुस्तकों के पृष्ठों को मोड़ना, उन पर किसी प्रकार का निशान लगाना और कहीं भी कुछ लिखना या पृष्ठों को फाड़ना निषिद्ध है।

(xii) पुस्तकालय में प्रवेश के पूर्व बैग, छाता या निजी पुस्तकें आदि प्रवेश द्वार पर जमा करना आवश्यक है।

(xiii) वाचनालय (Reading Room) में अध्ययनार्थ ली गयी पुस्तकें, पत्र–पत्रिका आदि उसी दिन वाचनालय बन्द होने के पूर्व जमा करना आवश्यक है।

(xiv) विश्वविद्यालय परीक्षा प्रपत्र भरने तथा महाविद्यालय से स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (T.C.) लेने के पूर्व सभी निर्गमित पुस्तकें वापस करना एवं 'कुछ देय नहीं' (No Dues Certificate) लिखा लेना आवश्यक है।

(xv) पुस्तकालय में शान्ति एवं अनुशासन रखना आवश्यक है। नियम भंग करने वाले छात्र/छात्राओं को पुस्तकालय के उपयोग की सुविधा से वंचित किया जा सकता है।

(xvi) छात्र / छात्रा पुस्तकालय से संबंधित कोई शिकायत / सुझाव प्रभारी प्रधानाचार्य के समक्ष लिखित या मौखिक रख सकते है।

परीक्षा विभाग (Examination Cell)

महाविद्यालय द्वारा समय – समय पर आयोजित परीक्षाओं (Terminals) के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाएँ परीक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं।

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं में यदि अन्य महाविद्यालयों का भी केन्द्र इस महाविद्यालय में होता है तो संबंधित महाविद्यालय के छात्रों को भी अपेक्षित जानकारियाँ, परीक्षा विभाग देता है। 75% व्याख्यान (Lectures) एवं अनुशीलन वर्गों (Tutorials) को पूरा करने पर ही सामान्यतया छात्रों को विश्वविद्यालय परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है।

विश्वविद्यालय परीक्षाओं के प्रपत्र भरने के समय पुस्तकालय, संबंधित प्रयोगशालाओं खेल–कूद प्रभारी (पी.टी.आई.) आदि से प्राप्त No Dues Certificate प्रस्तुत करना आवश्यक है।

ज्ञातव्य बातें :

(क) एन.एस.एस. में एक युनिट में केवल 50 छात्राओं का ही नामांकन किया जायेगा।

(ख) एन.एस.एस. में नामांकित छात्रा को दो सत्रों तक रहना होगा। एक सत्र की अवधि में उन्हें 120 घंटों इसके कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा।

(ग) प्रत्येक वर्ष छात्रों / छात्राओं के लिए छुट्टियों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाता है।

(घ) छात्र / छात्राओं को उनके सेवा कार्यों के लिए प्रमाण – पत्र दिये जाते हैं।

पाठ्यक्रम :

इस महाविद्यालय में कला एवं वाणिज्य संकाय में निम्न विषयों की प्रतिष्ठा स्तर तक पढ़ाई होती है।

कला संकाय : हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, मैथिली, अरबी, परसियन, उर्दू, इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, ग्रामीण अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, संगीत, श्रम एवं समाज कल्याण, गणित, बंगला, भूगर्भशास्त्र।

वाणिज्य संकाय : वाणिज्य संकाय के सभी विषय।

पाठ्यक्रम की अवधि :

1. स्नातक कला एवं वाणिज्य कोटि का पाठ्यक्रम तीन वर्ष का होगा तथा विद्योपार्जन के प्रथम वर्ष को स्नातक कला / वाणिज्य (प्रतिष्ठा) का प्रथम खंड, द्वितीयक वर्ष को स्नातक कला वाणिज्य (प्रतिष्ठा) का द्वितीय खंड तथा तृतीय वर्ष को स्नातक कला / वाणिज्य (प्रतिष्ठा) का तृतीय खंड के नाम से जाना जायेगा।

त्रिवर्षीय स्नातक प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम की संरचना :

पाठ्यक्रम	प्रथम खण्ड	द्वितीय खण्ड	तृतीय खण्ड	योग
एक प्रतिष्ठा	200 अंक	200 अंक	400 अंक	800 अंक
दो अनुषंगिक विषय	200 अंक	200 अंक	—	400 अंक
राष्ट्रभाषा	100 अंक	100 अंक	—	200 अंक
सामन्य अध्ययन	—	—	100 अंक	100 अंक
योगफल	**500 अंक**	**500 अंक**	**500 अंक**	**1500 अंक**

प्रवेश के लिए योग्यता :

2. यदि अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा इण्टरमीडियट परीक्षा में या उसके समतुल्य मान्यता किसी अन्य परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित हुए हो तभी स्नातक कला एवं वाणिज्य (प्रतिष्ठा) में दाखिला मिल सकता है।
किसी भी विषय के प्रतिष्ठा (Hons.) पाठ्यक्रम में नामांकन प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य होगा कि उस विषय में इण्टरमीडियट स्तर पर परीक्षा में कम–से–कम **45%** अंक प्राप्त हुए हों।
पुनः यदि किसी अभ्यर्थी ने इण्टरमीडियट के स्तर पर विज्ञान में **45%** सम्पूर्णांक के साथ सफलता प्राप्त की है, तो यह स्नातक प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम (कला) के किसी भी विषय में दाखिले के योग्य हैं। भले ही उसने उस विषय में इण्टरमीडियट स्तर पर अध्ययन न किया हो। कला संकाय में नामांकन की स्थिति में उन्हें कोई भी प्रायोगिक विषय रखने की अनुमति नहीं होगी।

Bachelor of Art (B.A.) Honours :

(a) स्नातक कला प्रतिष्ठा के लिए प्रस्तुत परीक्षार्थी को निम्नांकित विषयों में किसी एक विषय में प्रतिष्ठा का चुनाव करना होगा तथा अनुसांगिक विषयों का चुनाव करना होगा।
हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, मैथिली, अरबी, परसियन, उर्दू, इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, ग्रामीण अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, संगीत, श्रम एवं समाज कल्याण, गणित, बंगला, भूगर्भशास्त्र।
यदि कोई अभ्यर्थी भाषा एवं साहित्य में से ही किसी एक विषय में प्रतिष्ठा का चयन करते हैं तो उस स्थिति में उसे एक से अधिक भाषा का सहायक विषय के रूप में चयन करने का अधिकार नहीं होगा।

जिस विषय में प्रयोगिक परीक्षा का प्रावधान है :

1. सहायक सत्रों में से प्रत्येक पत्र 75 अंक के होंगे तथा 25 अंक की प्रायोगिक परीक्षा होगी।
2. प्रतिष्ठा विषयों में से :

(a) पत्र – I तथा पत्र – II में से प्रत्येक 75 अंक के होंगे तथा प्रायोगिक परीक्षा 50 अंक के होंगे। (प्रथम वर्ष)

(b) पत्र – III तथा पत्र – IV में से प्रत्येक 75 अंक के होंगे तथा प्रायोगिक परीक्षा 50 अंक के होंगे। (द्वितीय वर्ष)

(c) पत्र – V, VI तथा VII में प्रत्येक 100 अंक का पुर्णतया सैद्धांतिक होगा, तथा पत्र VII में 100 अंक की प्रायोगिक परीक्षा होगी।

3. **संगीत (प्रतिष्ठा) विषय में :**

(a) प्रथम वर्ष में 100 अंक का सैद्धांतिक एवं 100 अंक की प्रायोगिक परीक्षा होगी।

(b) द्वितीय वर्ष में भी 100 अंक का सैद्धांतिक एवं 100 अंक की प्रायोगिक परीक्षा होगी।

(c) तृतीय वर्ष में 200 अंक का सैद्धांतिक एवं 200 अंक की प्रायोगिक परीक्षा होगी ।

शुल्क :–

शुल्क दाखिले के समय तथा प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में अदा करने होंगे।

महाविद्यालय के विभिन्न विभाग

हिन्दी विभाग	इतिहास विभाग	मानवशास्त्र विभाग	बंगला विभाग
अंग्रेजी विभाग	प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग	भूगोल विभाग	भूगर्भशास्त्र विभाग
संस्कृत विभाग	राजनीति शास्त्र विभाग	मनोविज्ञान विभाग	प्रयोग प्रदर्शक
मैथिली विभाग	दर्शन शास्त्र विभाग	गृहविज्ञान विभाग	शिक्षकेत्तर कर्मचारी
अरबी विभाग	अर्थशास्त्र विभाग	संगीत विभाग	पुस्तकालय
परसियन विभाग	ग्रामीण अर्थशास्त्र विभाग	श्रम एवं समाज कल्याण विभाग	लेखा शाखा
उर्दू विभाग	समाजशास्त्र विभाग	गणित विभाग	हेल्पडेस्क विभाग

महाविद्यालय के विभिन्न समितियाँ

विकास समिति	NSS	प्लानिंग बोर्ड
एन्टी रैगिंग सेल	शिकायत निवारण समिति	क्रय समिति
Women Harassment Cell	विद्वत परिषद्	परिसंपदा संरक्षण समिति
पुस्तकालय समिति	परीक्षा समिति	कला एवं संस्कृत परिषद
नामांकन प्रभारी	IQAC	स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण
क्रीड़ा समिति	सूचना पदाधिकारी	

Website : www.lccollegepastwar.in
Email : lccollegepastwar@gmail.com